प्रकरण संख्या 94/2019 2019/00039 तारीख रजु 20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

रामसिंह पुत्र श्री पून्या जाति मीना निवासी रोहर (मुंशीपुरा) तहसील मासलपुर – अप्रार्थी

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–14.01.2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 18/2 रकबा 1–10 बीघा ग्राम रोहर (मुंशीपुरा) तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 18/2 रकबा 1–10 बीघा ग्राम रोहर सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरकरण संख्या 35 दिनांक 30.07.1991 द्वारा श्री रामसिंह पुत्र श्री पून्या जाति मीना निवासी रोहर के नाम जरिये आवंटन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में उपरोक्त भूमि श्री रामसिंह पुत्र श्री पून्या जाति मीना निवासी रोहर तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 18/2 रकबा 1–10 बीघा बाके ग्राम रोहर (मुंशीपुरा) को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2072–75 नामांतरकरण संख्या 35 दिनांक 30.07.1991 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई।

अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया है कि रेफरेन्स जिस तरह पेश किया गया है, कतई स्वीकार नहीं है। राज्य सरकार द्वारा विधिक प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरांत खसरा नं. 18/2 रकबा 1–10 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला बाके ग्राम रोहर (मुंशीपुरा) में मेरे नाम खातेदारी दर्ज की गयी है। मेरे द्वारा समस्त राजकीय शुल्क (लगान) नियमित रूप से जमा करवाये जा रहे हैं एवं प्रार्थी नियमित रूप से काश्त कर रहा है। जमा शुल्क के आवश्यक दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। लगभग 40 वर्ष पूर्व नियमन उपरांत प्रार्थी को सरकार द्वारा कब्जा संभलाया गया है, तब से प्रार्थी काश्त कर रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 18/2 रकबा 1–10 बीघा गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 35 दिनांक 30.07.1991 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 18/2 रकबा 1–10 किस्म बारानी–3 रामसिंह पुत्र श्री पून्या जाति मीना निवासी रोहर के नाम आवंटन होकर खोतदारी में दर्ज रिकार्ड हो गयी है जो वर्तमान जमाबंदी

संवत 2072–2075 के खाता संख्या 25 में भी अप्रार्थी के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम रोहर (मुंशीपुरा) की आराजी खसरा नंबर 18/2 रकबा 1–10 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:21:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: